न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 90/16

संस्थित दिनाँक-04.03.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

पुरूषोत्तम पुत्र लक्ष्मणिसंह बघेल उम्र 42 साल निवासी नाका चन्द्रा रामनगर मुडिया पहाड गली नं0 4 थाना झांसी रोड ग्वालियर म0प्र0 हाल लहचूरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

<u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 11.05.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 304 ए, 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27.12.15 को रात दस बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छीमका के सामने सार्वजिनक स्थान पर वाहन केन कमांक एम0पी0—04 एच0बी0—1077 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से बिना इशारा किए खडी कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उपरोक्त रीति से खडा किया जिससे सोनू की मोटर साईकिल टकरा गयी जिससे सोनू की ऐसी मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती, सोनू की मोटरसाईकिल के टकराने से उस पर बैठे गोपाल को अस्थिमंग होकर घोर उपहित कारित हुई तथा देवेन्द्र को उपहित कारित हुई।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 27.12.15 को फरियादी गोपाल सोनी मोटरसाईकिल से अपने मित्र सोनू तथा देवेन्द्र के साथ भिण्ड से गोहद आ रहे थे। मोटरसाईकिल को सोनू चला रहा था। रात्रि करीब 10 बजे ग्राम बिरखड़ी के सामने भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर एक अज्ञात केन चालक ने केन बिना किसी संकेत के राजमार्ग पर लापरवाही पूर्वक खड़ी करके रख़ी जिससे उनकी मोटरसाईकिल टकरा गयी। सोनू की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी तथा फरियादी गोपाल एवं देवेन्द्र को चोटें आई। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी नालिसी लेख की गयी। तत्पश्चात् अप0क0 294/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, मृतक का शव परीक्षण एवं आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं 🤚
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.12.15 को रात दस बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छीमका के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन केन कमांक एम0पी0—04 एच0बी0—1077 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से बिना इशारा किए खड़ी कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय पर सोनू की मृत्यु कारित हुई ?
 - 3. क्या उक्त दिनांक, समय पर आहत गोपाल व देवेन्द्र के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति क्या थी ?
 - 4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से बिना इशारा किए खडी की जिससे सोनू की मोटरसाईकिल के टकराने से उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानवबध की कोटि में नहीं आती तथा गोपाल को घोर एवं देवेन्द्र को साधारण उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5 अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्यामसुंदर सोनी अ०सा० 1, डा० आलोक शर्मा अ०सा० 2 गोपाल सोनी अ०सा० 3, देवेन्द्र सोनी अ०सा० 4, रामनिवास शर्मा अ०सा० 5, किशनलाल अ०सा० 6, रामकरन अ०सा० 7, अरविंद अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3//

6. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी गोपाल सोनी अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते है कि दिसंबर 2015 की रात के करीब 9 बजे की बात है। वे सोनू सोनी के साथ मोटरसाईकिल पर आ रहे थे। उनकी मोटरसाईकिल बिरखडी तक पहुंची तभी सामने से कोई वाहन आया और मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया। यह कथन करते है कि वे सोनू के पीछे बैठे थे, सोनू मोटरसाईकिल चला रहे थे तथा देवेन्द्र सोनी भी मोटरसाईकिल पर उसके पीछे बैठे थे। साक्षी कथन करते हैं कि टक्कर लगने से वे बेहोश हो गए और इसके बाद किसी ने खबर की तो उसके भाई बगैरह आ गए जो अस्पताल ले गए। साक्षी उसके बांए हाथ के कंधे में फेक्चर (अस्थिभंग) हो जाने का कथन करते हैं, इसके अलावा बांए हाथ की कलाई और शरीर में चोट आने का भी कथन करते हैं, देवेन्द्र के दांत टूट जाने तथा सोनू सोनी की मौके पर ही मृत्यु हो जाने का भी कथन करते

हैं। साक्षी देहाती नालिसी प्र0पी0 5 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं और नक्शा मौका प्रपी0 6 पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं।

- 7. घटना में कथित आहत देवेन्द्र 30सा0 4 यह कथन करते हैं कि सर्दियों के समय रात के 8-9 बजे की बात है, वे भिण्ड से सोनू सोनी और गोपाल के साथ मोटरसाईकिल पर आ रहे थे। उनकी मोटरसाईकिल मेहगांव तक पहुंची उसके बाद याद न होने का कथन करते हैं। साक्षी दुर्घटना में उसका जबड़ा टूट जाने का कथन करते हैं और यह भी कथन करते हैं कि उसे दूसरे दिन शाम को पता चला कि सोनू की मृत्यु हो गयी है। इसके अतिरिक्त गोपाल के अस्पताल में साथ में लेटे होने का भी कथन करता है। श्यामसुंदर सोनी 30सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में एक साल पहले 12 वे महीने की बात बताते हुए कथन करते हैं कि उनका लडका सोनू मोटरसाईकिल से आ रहा था, उसके साथ एक लडका और बैटा था। रात के 9:30 बजे की बात है बिरखड़ी के पास मोटरसाईकिल का केन मशीन से एक्सीडेंट हो गया था। उसे किसी ने फोन करके बतलाया था कि सोनू का एक्सीडेंट हो गया है और जब वह अस्पताल में पहुंचा तो उसका लडका सोनू खत्म (मृत) हो गया था।
- 8. फरियादी गोपाल अ0सा0 3 ने घटना के संबंध में देहाती नालिसी प्र0पी0 5 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर द्वारा उसे प्रमाणित किया है। घटना का कथित चक्षुदर्शी साक्षी अरविंद अ0सा0 8 अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करता और पक्षविरोधी हो गया है। प्र0आर0 किशनलाल अ0सा0 6 दिनांक 28.12.15 को प्रकरण की अनुसंधान की कार्यवाही करने का कथन करते हैं। उक्त दिनांक को ही वे घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0 6 बनाए जाने का कथन करते हुए उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। गोपाल अ0सा0 3 ने प्र0पी0 6 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताए हैं। किशनलाल अ0सा0 6 यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त दिनांक को ही सफीना फार्म (मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन) प्र0पी0 10 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् नक्शा लाश पंचायतनामा प्र0पी0 11 बनाए जाने का कथन करते हुए उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। लाश प्राप्ति रसीद प्र0पी0 12 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
- 9. डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 28.12.15 को मृतक सोनू पुत्र श्याम सुंदर सोनी का शव परीक्षण किए जाने का कथन करते हुए बताते हैं कि मृतक का कद सामान्य कद काठी का था, शरीर पर काली जैकेट तथा नीला पैंट मौजूद था, माथे पर 8 गुणा 0.6 सेमी0 गुणा 0.5 सेमी0 का फटा हुआ घाव था, दाहिनी आंख के नीचे 2 गुणा 1 सेमी0 का छिला घाव था, सीने में 20 गुणा 5 सेमी0 छिले का घाव था, पेट में दाहिनी तरफ 8 गुणा 0.8 सेमी0 का छिला घाव था, बांए पैर में विकृति थी। शरीर में अकडन मौजूद थी। आंतरिक परीक्षण पर फ्रन्टल नेजल, बांयी टीबिया तथा

फुबुला हड्डी टूटी हुई थी, मिस्तिष्क में खून का थक्का मौजूद था। आंतिरक अंग कंजस्टेड (संकुचित) थे तथा पेट में खाने के कण मौजूद थे। चिकित्सक अभिमत के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट से कोमा में जाने के कारण परीक्षण से 6 से 24 घण्टे के अंदर हुई थी। परीक्षण रिपोर्ट प्रपी0 3 प्रदर्शित कर उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्र0पी0 3 के दस्तावेज पर शव परीक्षण का समय दिनांक 28.12.15 को प्रातः 9:30 बजे का उल्लेखित है। मृतक की दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में साक्षी गोपाल अ०सा0 3, देवेन्द्र अ०सा0 4, श्यामसुंदर अ०सा0 1 ने अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया है, इसके अतिरिक्त देहाती नालिसी प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 10, 11 व 12 के दस्तावेज उनके निष्पादक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए हैं। प्र0पी0 3 की शव परीक्षण रिपोर्ट से अभिकथित घटना का समय 24 घण्टे के भीतर का है। अभियुक्त की ओर से मृतक सोनू सोनी की मृत्यु अभिकथित घटना दिनांक 27.12.15 को सडक दुर्घटना में कारित न हुई हो, ऐसा कोई सुझाव तक अभिलेख पर नहीं हैं। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 27.12.15 को मृतक सोनू सोनी की मृत्यु सडक दुर्घटना में कारित हुई थी।

आहतगण देवेन्द्र एवं गोपाल सोनी के द्वारा उन्हें अभिकथित सडक दुर्घटना में चोटें कारित 10. होने के संबंध में कथन किया गया है। उनके संबंध में भी प्र0पी0 5 की देहाती नालिसी में दुर्घटना में आहत होने के संबंध में उल्लेख किया गया है। डा० आलोक शर्मा अ०सा० 2 दिनांक 27.12.15 को आहत गोपाल सोनी को चिकित्सीय परीक्षण हेत् लाए जाने पर उसे बांए कंधे में नील पाए जाने जिसके लिए एक्सरे की सलाह दिए जाने का कथन करते हैं। आहत देवेन्द्र सोनी को भी उसी दिनांक को चिकित्सीय परीक्षण करने पर माथे पर 4 गुणा 2 सेमी0 नील का निशान एवं निचले जबडे से खून बहने और अर्द्ध बेहोशी की हालत में होने का कथन करते हैं। उक्त आहतगण को कारित चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से आना संभव होने एवं चिकित्सीय परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की होने का अभिमत देते हैं। डा० आलोक शर्मा अ०सा० २ दिनांक २८.१२.१५ को आहत गोपाल सोनी का एक्सरे परीक्षण किए जाने पर आहत को दाहिने बखा में अस्थिभंग पाए जाने का कथन करते हैं। एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 4 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। चिकित्सक द्वारा आहत गोपाल सोनी के चिकित्सीय परीक्षण का प्रतिवेदन प्र0पी0 1 तथा आहत देवेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी० 2 बताकर उन पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। प्र0पी0 1 व 2 में चिकित्सीय परीक्षण का समय अभिकथित घटना के 6 घण्टे के भीतर का समय है जिससे अभिकथित घटना में आहतगण को उपहति कारित होने के संबंध में चिकित्सीय अभिमत से पुष्टि होती है। प्र0पी0 1 व 2 के दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर चिकित्सक द्वारा उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित होने से एवं अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से प्रमाणित हैं। आहतगण को चोटें कारित होने के संबंध में चिकित्सक डा० आलोक शर्मा अ०सा० २ को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका २ में सुझाव दिया गया

कि उक्त मृतक व आहतगण तेज मोटरसाईकिल चलाते हुए फिसल जाए तो इस प्रकार की चोटें आना संभव हैं। मृतक व आहतगण के शराब के नशे में होने के संबंध में प्रश्न पूछा गया किन्तु ऐसा कोई भी प्रश्न स्वयं आहतगण से नहीं पूछा गया। आहतगण के अभिकथित घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में कोई भी चुनोती उनके साक्ष्य में नहीं दी गयी है। इस प्रकार से भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 27.12.15 को आहतगण गोपाल सोनी एवं देवेन्द्र सोनी को उपहित कारित हुई थी जिसमें से आहत गोपाल को एक्सरे परीक्षण प्र0पी० 4 के माध्यम से यह भी प्रमाणित है कि उसे अस्थिभंग कारित होंकर घोर उपहित पहुंची थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या मृतक की मृत्यु एवं आहतगण देवेन्द्र व गोपाल की उपहितयां अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपनपूर्ण कार्य से कारित हुई थी ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 4//

- 11. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृित्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का भी एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण के सर्वोत्तम साक्षी आहतगण गोपाल अ0सा0 03 एवं देवेन्द्र अ0सा0 4 हैं। गोपाल अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि मेहगांव के आगे जब उनकी मोटरसाईकिल पहुंची तो सामने से कोई वाहन आया और उनकी मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया, वे देख नहीं पाए। अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी देहाती नालिसी प्र0पी0 5 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताते हैं, किन्तु उक्त हस्ताक्षर कब और कहां कराए गए इसके संबंध में कथन करने में अस्मर्थ हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें यह पता न होने का कथन करते हैं कि ग्राम बिरखडी के सामने अज्ञात केन के चालक ने बिना कोई इशारा दिए लापरवाही से केन को खडा कर दिया जिससे उनकी मोटरसाईकिल टकरा गयी थी। साक्षी यह भी याद न होने का कथन करते हैं कि देहाती नालिसी प्र0पी0 5 पर उसके गोहद अस्पताल में हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी पुलिस कथन प्र0पी0 7 में अभिकथित अज्ञात केन के चालक द्वारा बिना संकेत दिए राजमार्ग पर लापरवाही से खडे कर देने के कारण मोटरसाईकिल टकराने के संबंध में तथ्य लिखाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से स्वयं फरियादी गोपाल सोनी अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथित घटना में केन की संलिपतता के संबंध में संदेह उत्पन्न कर देते हैं।
- 12. आहत देवेन्द्र अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि उनकी मोटरसाईकिल मेहगांव तक पहुंची उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं हैं। साक्षी दुर्घटना में उनका जबड़ा टूट जाने का कथन करते हैं, किन्तु यह याद न होने का कथन करते हैं कि किस वाहन से दुर्घटना हुई थी। साक्षी दुर्घटना में उसके बेहोश हो जाने और तीन बाद होश आने की बात बताते हैं। डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 2 का कथन इस संबंध में सुसंगत है, जो कि आहत देवेन्द्र को परीक्षण के समय अर्द्ध बेहोशी की हालत में पाए जाने का कथन कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा आहत देवेन्द्र अ0सा0 4 को पक्षविरोधी घोषित

कर दिया गया और सूचक प्रश्न में कथित अज्ञात केन के चालक द्वारा बिना संकेत दिए लापरवाही से खड़े कर देने का सुझाव दिया तो साक्षी ने याद न होने का कथन किया। इस साक्षी ने प्र0पी0 8 के पुलिस कथन में ए से ए भाग पर विनिर्दिष्ट तथ्य लिखाए जाने से इंकार किए हैं। इस प्रकार से इस साक्षी की अभिसाक्ष्य से भी कथित दुर्घटना में केन की संलिप्तता एवं अभियुक्त के उपेक्षा एवं उतावलेपन पूर्ण कार्य के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य प्रकट नहीं होती है।

- 13. श्याम सुंदर अ०सा० 1 मृतक सोनू के पिता हैं, जो कि उन्हें किसी के फोन के द्वारा उनके पुत्र के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होने और अस्पताल में पहुंचने का कथन किया गया है। यह साक्षी भी पुलिस को कोई कथन देने से इंकार करते हैं। प्रतिपरीक्षण में बताते हैं कि वे न्यायालय में पहली बार कथन कर रहे हैं, पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। यह भी कथन करते हैं कि वे फोन से मिली जानकारी के आधार पर दुर्घटना की बात बता रहे हैं और उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं हैं। इस प्रकार से इस साक्षी की अभिसाक्ष्य से अभियोजन के मामले को कोई संबल प्राप्त नहीं होता है। घटना का कथित चक्षुदर्शी अरविंद अ०सा० 8 साक्ष्य में प्रस्तुत हुआ, जो न तो अभियुक्त को जानता है और न उनके समक्ष कोई घटना कारित होने का कथन करता है। साक्षी पक्षविरोधी होकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं करता। प्र०पी० 16 के पुलिस कथन का बिनिर्दिष्ट ए से ए भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार करता है।
- 14. किशनलाल अ०सा० ६ अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक ३०.12.15 को साक्षी अरिवंदिसंह के कथन लिए थे। प्रतिपरीक्षण की किण्डका 2 में स्वीकार करते हैं कि फिरियादी गोपाल ने उन्हें वाहन नंबर एवं चलाने वाले का नाम नहीं बताया और यह भी स्वीकार करते हैं कि देहाती नालिसी में फिरियादी ने केन रोड के एक साईड में खड़ी होना लिखाया था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि भिण्ड—ग्वालियर रोड व्यस्ततम मार्ग होकर दिन रात चालू रहता है तथा कई केने आती जाती और रूकती भी रहती है। साक्षी किण्डका ३ में कथन करते हैं कि उन्हें तो साक्षी अरिवंद के बताए अनुसार गाड़ी का नंबर बताया है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यदि अरिवंद अ०सा० ८ ने अनुसंधानकर्ता को कथित केन के बारे में बताया था तो स्वयं अनुसंधानकर्ता के कथन के अनुसार दिनांक २९.12.15 को अरिवंद के कथन के पूर्व ही उसे कैसे जब्द कर लिया गया। साथ ही अरिवंद अ०सा० ८ ने प्र०पी० १६ के संपूर्ण कथन को दिए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से प्रकरण में यह संदेहपूर्ण परिस्थिति को उत्पन्न करता है।
- 15. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के स्वामी रामनिवास शर्मा अ०सा० 5 को अभिसाक्ष्य में प्रस्तुत किया गया, जो वाहन एम०पी०—07 एच०बी०—1077 का पंजीकृत स्वामी होना बताते हैं। दि० 27.12.15 को उक्त वाहन अभियुक्त पुरूषोत्तम द्वारा चलाए जाने का कथन करते हैं और प्रमाणीकरण प्र०पी० 9 दिए जाने का कथन करते हुए उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। साक्षी अपने

मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि उन्हें अभियुक्त ने बताया था कि दिनांक 27.12.15 को गाडी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी ने खडी हालत में टक्कर मार दी। इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष ने पक्षविरोधी घोषित किया। साक्षी द्वारा सूचक प्रश्न में प्र0पी0 10 के पुलिस कथन में ए से ए भाग पर मृतक सोनू की हालत गंभीर होने तथा आहत देवेन्द्र व गोपाल को चोटें होने का तथ्य बताए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में पुनः यह कथन किया कि उन्हें आरोपी ने बताया था कि उसने वाहन रोड किनारे एक तस्फ खड़ा कर दिया था और किसी ने खड़े वाहन में टक्कर मार दी थी। साक्षी रामनिवास प्रथमतः तो चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, दूसरे उक्त साक्षी का कथन अनुश्रुत साक्षी के रूप में हैं, जो सारवान साक्षियों के द्वारा कथित दुर्घटना में केन की संलिपता के संबंध में कोई भी कथन अभिलेख पर न होने से विश्वसनीय नहीं हो जाता है। अनुश्रुत साक्ष्य कमजोर साक्ष्य की श्रेणी में आता हैं, जब तक कि अन्य तथ्य व परिस्थितियों से यह समर्थन न हो कि घटना में अभियुक्त के द्वारा ही अपराध कारित किया गया हो, तब तक ऐसी साक्ष्य के बल पर दोषसिद्धि सुरिक्षत नहीं हैं।

दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरूद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि ''विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्टभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर मेंत क रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

- 17. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैं कि अभियुक्त ने दिनांक 27.12.15 को रात दस बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छीमका के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन केन कमांक एम0पी0—04 एच0बी0—1077 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से बिना इशारा किए खडी कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उपरोक्त रीति से खडा किया जिससे सोनू की मोटर साईकिल टकरा गयी जिससे सोनू की ऐसी मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती, सोनू की मोटरसाईकिल के टकराने से उस पर बैठे गोपाल को अस्थिभंग होकर घोर उपहित कारित हुई तथा देवेन्द्र को उपहित कारित हुई। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 304 ए, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- **18.** अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एम०पी०—04 एच०बी०—1077 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 20. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि हो, तो धारा ४२८ का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मिण्ड मध्यप्रदेश भेणी योहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश